

राजस्थान सरकार
वन विभाग

॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा ॥

(Navapura, Civil Lines Raj Bhawan Road Kota Email ID-dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)

दूरभाष नं०-0744-2322747

क्रमांक:-एफ()उवसं/तक./ 2022-23/ 1826
निमित्त:-

दिनांक: 28/2/23

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

विषय:- Permission for Running of existing gaushala in forest land, lakhawa distt, kota
Rajasthan.(Proposal No. FP/RJ/others/25462/2017)

प्रसंग:- आपके पत्राक 693 दिनांक 01.02.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि उक्त संबंध में आप द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति कर प्रेषित है-

क्र.स.	आक्षेप	पालना
1	बिन्दु संख्या-3 में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर उसके शमन के साक्ष्य उपलब्ध करावे।	उपयोक्ता ऐजेन्सी के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत वन अपराध एफ.आई. आर 32-41 दिनांक 14.02.2023 को दर्ज किया जाकर वन अपराध का समन कर लिया गया है इसके अतिरिक्त न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा में दर्ज प्रकरण संख्या 131/2015 में पारित निर्णय की पालना में शास्ती राशि 46000 रु की वसूली की गई है। (डी डी संलग्न है।)
2	गैर वनभूमि हेतु प्रस्तुत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना (प्राक्कलन) में फैंसिंग तथा खड्डो की मात्रा वास्तविक क्षेत्र के अनुरूप प्रतीत नहीं होती। इसके अलावा पृथक-पृथक भूमियों हेतु Watch & ward, केटलगार्ड हट, लेबर एमिनिटिस, रिपेयर्स ऑफ चेक डेम हेतु प्रावधान उचित प्रतीत नहीं होता है।	प्राप्त गैर वन भूमि खडली नोनेरा में ख. न० 42,173,174,40,10 कुल क्षेत्रफल 4.69 है० में वास्तविक क्षेत्र के अनुरूप 400 पौधे प्रति है० कि दर से एन.एफ.एल. मोडल अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है प्राक्कलन की प्रति संलग्न कर दिया गया है तथा शेष 700 पौधे प्रति है० कि वृक्षारोपण कार्य डी.एफ.एल. मोडल के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है डी.एफ.एल. की कॉफी संलग्न है। उक्त अलग-अलग वृक्षारोपण क्षेत्र के प्राक्कलन में से Watch & ward, केटलगार्ड हट, रिपेयर्स ऑफ चेक डेम हटा दिया गया है।


उप वन संरक्षक
कोटा